संख्या -85/सीपी 412/84-2-2013-सीपी 55/98

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 27 नवम्बर,2013

विषय संसदीय स्थायी समिति की पैरा संख्या 1.28, 1.31, 1.37, 1.42, 1.47 एवं 1.57 में की गयी संस्तुति पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2782/एससीडीआरसी/ यूपी/अधि 12/09, दिनांक 24.10.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रस्तर संख्या 1.31 को अद्यतन करते हुए सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-सीपी 2497/29-खा8-2002-सीपी 1/87 टीसी, दिनांक 25.09.2002 के माध्यम से कार्यपालिका द्वारा जिला उपभोक्ता फोरमों का निरीक्षण न किये जाने तथा किसी प्रकार का प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रखने का आदेश निर्गत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 24ख में राज्य आयोग के कतिपय मामलों में प्रशासनिक नियंत्रण राष्ट्रीय आयोग को एवं जिला फोरमों के कतिपय मामलों में प्रशासनिक नियंत्रण राज्य आयोग को दिया गया है। उक्त के दृष्टिगत कृपया यह अवगत कराने का कष्ट करें कि पैरा संख्या-1.47 शासन से किस तरह सम्बन्धित है?

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://srasanadesh.up.nic.in